



न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या-22, प्रयागराज।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2734 / 2026

राज कुमार पटेल पुत्र रामपाल पटेल निवासी सूबेदार का पूरा (खागलपुर),
थाना नवाबगंज, कमिश्नरेट, प्रयागराज।

.....आवेदक / अभियुक्त।

बनाम

उत्तर-प्रदेश सरकार

.....अभियोजन पक्ष।

आवेदक / अभियुक्त राजकुमार पटेल की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र मु0अ0सं0-244 / 2026, धारा 305(ए), 331(4), 62 भारतीय न्याय संहिता, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा अनिल केसरवानी पुत्र देवतादीन केसरवानी निवासी कौड़िहार, थाना नवाबगंज, प्रयागराज का निवासी है। प्रार्थी का रोहित मशीनरी स्टोर गोदाम धरणी धर पुरा में स्थित है, रात करीब 11 बजे सूचना मिली कि वादी मुकदमा के स्टोर में घुसे तीन लोगों को स्टोर के अगल-बगल के निवासियों ने चोरी करते हुये पकड़ा है, इस पर वादी मुकदमा अपने कुछ परिचितों के साथ अपने स्टोर गया तो वहां पर पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम पता मंगल गौतम पुत्र बुद्ध निवासी खागलपुर थाना नवाबगंज प्रयागराज बताया। भागे हुये साथियों का नाम पवन सरोज और राजकुमार पटेल निवासी ग्राम सूबेदार का पूरा थाना नवाबगंज प्रयागराज बताया, पूछने पर बताया तीनों लोग स्टोर में चोरी करने के लिये घुसे थे कि गांव द्वारा देख लेने पर पकड़ लिया गया। मंगल गौतम को टीन सेड से भागने के प्रयास में कुछ चोटे भी आयी है।

(2)

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। घटना दिनांक 20.06.2026 को प्रार्थी एक शादी समारोह में डी० जे०रोड लाइट काम लिया था और अपने मजदूरों संग स्वयं डी०जे० गाड़ी चलाते हुये शादी में लगभग 12.30 बजे रात्रि तक रहा उसके बाद घर आया और सो गया दूसरे दिन प्रार्थी डी०जे० का सामान लेने हेतु प्रयागराज शहर आया था तो दोपहर में थाना—नवाबगंज की पुलिस प्रार्थी के घर गयी और प्रार्थी के विषय में पूछ ताछ करने लगी। प्रार्थी शाम को घर आया घरवालों ने पुलिस के आने की बात बतायी तब प्रार्थी पता किया तो पता चला कि मंगल गौतम द्वारा फर्जी ढंग से प्रार्थी का नाम लेकर मुकदमे में फंसवा दिया है। अतः अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में अग्रिम जमानत पर अवमुक्त/रिहा करने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) ने जमानत का प्रबल विरोध करते हुये अपराध गंभीर प्रकृति के होने का कथन किया है। अतः उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

न्यायालय ने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने जमानत का विरोध किया गया है। **विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी** ने एक विधि व्यवस्था का उल्लेख किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत के बाबत दिशा निर्देश दिए हैं, उन्होंने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिद्धाराम सत्यलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज—694** की विधि व्यवस्था के पैरा नं०—112 में यह भी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अग्रिम जमानत निस्तारित करते समय निम्नलिखित माप—दण्ड अपनाया जाना चाहिए—**(i) The nature and gravity of the accusation**

(3)

and the exact role of the accused must be properly comprehended before arrest is made.

(ii) The antecedents of the applicant including the fact as to whether the accused has previously undergone imprisonment on conviction by a Court in respect of any cognizable offence.

(iii) The possibility of the applicant to flee from justice.

(iv) The possibility of the accused's likelihood to repeat similar or the other offences.

(v) Where the accusations have been made only with the object of injuring or humiliating the applicant by arresting him or her.

(vi) Impact of grant of anticipatory bail particularly in cases of large magnitude affecting a very large number of people.

(vii) The courts must evaluate the entire available material against the accused very carefully. The Court must also clearly comprehend the exact role of the accused in the case. The cases in which accused is implicated with the help of sections 34 and 149 of the Indian Penal Code, the Court should consider with even

(4)

greater care and caution because over implication in the cases in a matter of common knowledge and concern.

(viii) While considering the prayer for grant of anticipatory bail, a balance has to be struck between two factors namely, no prejudice should be caused to the free, fair and full investigation and there should be prevention of harassment, humiliation and unjustified detention of the accused.

(ix) The Court to consider reasonable apprehension of tampering of the witness or apprehension of threat to the complainant.

(x) Frivolity in prosecution should always be considered and it is only the element of genuineness that shall have to be considered in the matter of grant of bail and in the event of There being some doubt as to the genuineness of the prosecution, in the normal course of events, the accused is entitled to an order of bail.

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त नामजद अभियुक्त है। थाने से प्राप्त आख्यानानुसार अभियुक्त का उपरोक्त मुकदमे के अतिरिक्त एक अन्य आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

(5)

अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति दण्ड की मात्रा, संकलित साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं अभियुक्त की कथित भूमिका को देखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना न्यायालय के विचार से अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। अतएव अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र (Anticipatory Bail) स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त राज कुमार पटेल की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र (Anticipatory Bail) स्वीकार की जाती है।

यदि आवेदक/अभियुक्त को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक द्वारा मु0 50,000/— रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की एक प्रतिभू, गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के समक्ष उसकी संतुष्टि का दाखिल करने पर निम्न शर्त पर छोड़ा जाये :-

1. प्रकरण की विवेचना के दौरान विवेचना में सहयोग करेगा,
2. गवाहों पर अनुचित दबाव नहीं डालेंगे और न ही तोड़ेगा,
3. न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने पर आरोप सृजित करते समय अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करायेगा और विचारण में सहयोग प्रदान करेगा,
4. न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जायेगा,

आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर अभियोजन पक्ष अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक—23.07.2026

(पंकज कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0—22, प्रयागराज।
जे0ओ0 कोड यू0पी02670